न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पील संख्या : 12/32

सरमेल सिंह आत्मज श्री जसवन्तसिंह जी जाति जटसिक्ख निवासी ग्राम रडी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. सीनेन्द्रपाल सिंह आत्मज श्री चंचल सिंह जाति जटसिक्ख निवासी ग्राम रडी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 26.09.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2011 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92ए एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रडी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में खाता संख्या 57 की आराजी खसरा नम्बर 613 रकबा 0.60 हैक्टर स्थित है । उक्त भूमि के 1/2 हिस्से पर वादी काबिज काश्त करता चला आ रहा है । वादी उक्त भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । वादी उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 613 रकबा 0.60 हैक्टर के 1/2 हिस्से का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2011 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2011 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से पर अपना पुराना कब्जा दस्तावेजी एवं मौखिक

साक्ष्य से प्रमाणित कर दिया था । प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई साक्ष्य भी खण्डन में प्रस्तुत नहीं की गई थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद खारिज कर दिया । वादी कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2011 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर वादी अपीलान्ट का पिछले 30–35 वर्षो से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है । अपीलान्ट प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार कृषक हो चुका है । अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से पर अपना पुराना कब्जा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित कर दिया था । अधीनस्थ न्यायालय को वादी के पक्ष में दावा डिक्री करना चाहिए था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी खारिज कर दिया । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2011 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने एक वाद अन्तर्गत हक, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रतिवादी के खिलाफ यह कथन करते हुए पेश किया है कि वादग्रस्त आराजी पर विगत 30 वर्षों से उनका निरन्तर कब्जा है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2063 से 2066 प्रदर्श– 1 के अनुसार वादग्रस्त आराजी जसवन्त सिंह वल्द उद्धम सिंह, सीनेन्द्रपाल सिंह वल्द चंचल सिंह कौम जट सिक्ख के नाम खातेदारी में दर्ज है । वादी अपीलान्ट ने सहखातेदार जसवन्तसिंह को पक्षकार नहीं बनाया है जो कि आवश्यक पक्षकार है ।

9. दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु जो इस कारण में विचारणीय है वह यह है कि वादी अपीलान्ट ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा की प्रार्थना की है जबकि माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की फुल बैंच ने निर्णय पारित किया है कि कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्रदान नहीं किये जा सकते । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट का वाद खारिज करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2011 बहाल रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 26.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/9/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 12/32

सरमेल सिंह आत्मज श्री जसवन्तसिंह जी जाति जटसिक्ख निवासी ग्राम रडी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. सीनेन्द्रपाल सिंह आत्मज श्री चंचल सिंह जाति जटसिक्ख निवासी ग्राम रडी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2011 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 91/दावा/2011

सरमेल सिंह आत्मज श्री जसवन्तसिंह जी जाति जटसिक्ख निवासी ग्राम रडी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

न्याय एवम तथ्यों के सर्वथा विपरीत है ।

नरेन्द्रपाल सिंह आत्मज श्री चंचल सिंह जाति जटसिक्ख निवासी ग्राम रडी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

2. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2011 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 26.09.2018 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र गुप्ता एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर यह आदेश दिया कि आधार पर पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2011 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 26.09.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

26-9-18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा